

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

कमांक/एफ 5-2/2009/1-9

भोपाल, दिनांक: 10 नवम्बर 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों को गोपनीय प्रतिवेदन का प्रकटन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. सामा. प्रशा.विभाग का कमांक/एफ-2/2009/1-9; भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2014 एवं
2. सामा. प्रशा.विभाग कमांक /एफ 5-1/2015/1-9, भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2015

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
सावक नं. 1778
दिनांक 28/11/15
संख्या 1/2015
संक्षेपक


संदर्भित पत्र के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटित किए जाने के संबंध में प्रसारित किए गए हैं। वर्ष 2008 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित अधिकारियों के मांगे जाने पर ही उन्हें प्रकटित किए जाएंगे। प्रकटन की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित अधिकारी गोपनीय चरित्रावली के मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी उन्नयन हेतु अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जारी किए गए संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में नीचे लिखे अनुसार मार्गदर्शन जारी किए जाते हैं:-

- वर्ष 2008 से 2013 अर्थात् पूर्व के वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन इस पत्र के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 01 माह की अवधि तक प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों के आधार पर मांगे जाने पर ही प्रदान किए जा सकेंगे।
- उपरोक्त पूर्व वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन के प्रकटीकरण के पश्चात् निर्धारित समयावधि में प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण शासन स्तर से किया जाएगा।
- गोपनीय प्रतिवेदनों संबंधी अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए संबंधित स्वीकारकर्ता/अंतिम मतांकनकर्ता अधिकारी से यदि वे शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, तो आवश्यकतानुसार उनका मत

2/15
1/15

प्रचलित नियमों अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा। श्रेणी उन्नयन के संबंध में अंतिम निर्णय गुण-दोषों के आधार पर विभाग के द्वारा किया जाएगा।

4. प्राप्त अन्यावेदन पर वर्तमान प्रचलित नियमों के तहत ही विचार किया जाएगा।
5. गोपनीय प्रतिवेदन के उन्नयन की स्थिति में यह भविष्यलक्षी प्रभाव रखेगा, इसके आधार पर पूर्व में की गयी विभागीय कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी।



(मुक्तेश वाष्णीय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक/एफ 5-2/2009./1-9

भोपाल, दिनांक- 10 दिसंबर 2015

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, माचना कालोनी, भोपाल।
15. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
16. महालेखाकार ग्वालियर, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग।
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
19. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग